रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 1975/भाद्र 19, 1897
No. 254] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 1975/BHADRA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 10th September 1975

G.S.R. 489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 18-Customs, dated the 12th February, 1973, namely:—

In the said notification, after the word "Greece" in the two places where it occurs, the words "or Uruguay" shall be inserted.

[No. 86/F. No. 363/1/75-Cus I]

D. C. MANDAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 489(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 18–सीमा-शुल्क तारीख 12 फरवरी, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "यूनान" शब्द, जहां भी वह दो स्थानों पर आया है, के पश्चात् "या युरुग्ये" शब्द जोड़े जाएंगे ।

[सं० 86/फा सं० 363/1/75-सी० शु० 1]

डी० सी० मंडल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975